हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तृतीय सत्र

वीरवार, 30 अगस्त, 2018/8 भाद्रपद,1940 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

दिन के लिए } पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :

(1) श्री किशन कपूर,खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(2) श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत ब्यास वैली पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17;

(ii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से जनरेशन का प्रचार और टैरिफ निर्धारण के लिए नियम और शर्तें (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:एचपीईआरसी/428 दिनांक 07.05.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 28.05.2018 को प्रकाशित;

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (शार्ट टर्म ओपन एक्सेस) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/418 दिनांक 11.06.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 15.06.2018 को प्रकाशित; और

(iv) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग आपूर्ति संहिता(दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/Secy/151 दिनांक 31.07.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.08.2018 को प्रकाशित ।

(3) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

(i) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2016-17;

(ii) बोर्ड अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet) वर्ष 2016-17;और

(iii) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 की धारा 41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर के वार्षिक लेखे, वर्ष 2015-16 (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित) ।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति के **31वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 75वां कार्रवाई प्रतिवेदन (दशम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सहकारिता विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति के **58वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 68वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पर्यटन और नागरिक उड्डयन** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति के **65वें मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 110वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री रमेश चन्द ध्वाला, सभापति, प्राक्कलन समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **चतुर्थ कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 30वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **शिक्षा विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री नरेन्द्र बरागटा, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति का **दशम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2013-14(आर्थिक क्षेत्र) के ऑडिट पैरा 3.3 से 3.7 की संवीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे ।

4. <u>विधायी कार्य :</u>

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को, व्यक्तियों की भर्ती के सम्बन्ध में सिफारिशें करने और विभिन्न संस्थानों में सेवाओं के बारे में, अतिरिक्त कृत्य सौंपने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 10)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) <u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2018

(2018 का विधेयक संख्यांक 9)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

5. <u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u> :

"संकल्प"

(गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची संलग्न है)

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 29 अगस्त, 2018 **सचिव ।**

*****

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

गैर-सरकारी सदस्य कार्य

'संकल्प'

तृतीय सत्र

वीरवार, दिनांक 30 अगस्त, 2018 को चर्चा हेतु लिए जाने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों की सूची:

क्र0सं0	सदस्य का नाम	उद्धरण
1.	श्री इन्द्र सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि समाज में बढ़ते नशे के प्रयोग और युवाओं को इसके दुष्प्रभाव से जागरूक करने हेतु सम्बंधित शिक्षाप्रद उपयोगी साहित्य को पाठशालाओं के पाठयक्रम में सम्मिलित करने बारे नीति बनाने पर विचार करें ।"
2.	श्री बलवीर सिंह:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में Co-operative bank व Societies में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु नीति बनाने का विचार करें ।"
3.	श्री रमेश चन्द ध्वाला:	"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बेसहारा घूम रहे पशुओं द्वारा फसलो को हो रहे नुकसान बारे नीति बनाने पर विचार करें ।"
4.	श्री हर्षवर्धन चौहान:	"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि जिला सिरमौर के ट्रांसगिरी क्षेत्र की शिलाई, संगड़ाह, कमरऊ व राजगढ़ तहसीलों तथा आजबोझ क्षेत्र की नद्येता, अम्बोला, डाण्डा-पागर, शिबा, काला अम्ब तथा भड़ाना पंचायतों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 (1) (2) के अन्तगर्त अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र में घोषित करने बारे कोई नीति बनाने पर विचार करें।"
पिछले सत्र में प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा होगी		
	श्री राकेश पठानिया:	"This house may discuss the illegal mining in the state and recommends to the Government to form a policy."

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

* * * *